भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-598

दिनांक 28 नवंबर, 2024 को उत्तरार्थ

कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में निजी निवेश

598. प्रो. सौगत रायः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में निजी वित्त पोषण को रोकने की मांग की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में आगामी दशक के दौरान विद्युत उत्पादन और मांग के बीच संभावित अंतर का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में उत्पादन और मांग के अंतर को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) कुल व्यय के निष्पादन के लिए राज्यों को स्वीकृत और जारी की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत उत्पादन, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-7 के अंतर्गत एक गैर-लाइसेंसकृत गतिविधि है तथा कोई भी उत्पादन कंपनी इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन की संस्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण कर सकती है, बशर्ते वह ग्रिड कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती हो।

(ख) : जी नहीं।

(ग) और (घ) : 20वें विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) के अनुसार अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वर्ष 2031-32 तक उत्पादन विस्तार अध्ययन किया है और मई, 2023 में राष्ट्रीय विद्युत योजना को राजपत्र में अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, देश की 366.4 गीगावाट की अनुमानित उच्चतम मांग को पूरा करने के लिए, वर्ष 2031-32 के लिए संस्थापित क्षमता 900.422 गीगावाट होने की संभावना है, जिसमें 304.147 गीगावाट पारंपरिक क्षमता एवं 596.275 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आधारित क्षमता के साथ-साथ 47,244 मेगावाट/2,36,220 मेगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) क्षमता शामिल है।

देश में विद्युत की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:

क. 29,200 मेगावाट की तापविद्युत क्षमता (कोयला और लिग्नाइट आधारित) निर्माणाधीन है। इसके अलावा 51,520 मेगावाट की कोयला और लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो देश में नियोजन के विभिन्न चरणों में है।

ख. 13,997.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं और 6,050 मेगावाट की पम्प स्टोरेज परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा 24,225.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं और 50,760 मेगावाट की पीएसपी परियोजनाएं नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं।

ग. 7,300 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन है और 7,000 मेगावाट नियोजन/अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

घ. 1,27,050 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है और 89,690 मेगावाट निविदा के विभिन्न चरणों में है।

भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को 5,00,000 मेगावाट से अधिक तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

(ङ) : दिनांक 01.04.2019 से 30.09.2024 की अवधि के दौरान पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और आरईसी द्वारा राज्यों को संस्वीकृत और संवितरित निधि का ब्यौरा **अनुबंध** पर है।

लो.सं.अतारां.प्र.सं. 598

अनुबंध

क. दिनांक 01-04-2019 से 30-9-2024 के दौरान राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को पीएफसी द्वारा संस्वीकृत और संवितरित/जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत राशि	संवितरित राशि
1.	आंध्र प्रदेश	71,937	48,621
2.	अरुणाचल प्रदेश	99	0
3.	असम	3,153	1,330
4.	बिहार	1,250	1,782
5.	छत्तीसगढ़	18,237	1,412
6.	गुजरात	12,282	0
7.	हरियाणा	12,817	2,267
8.	हिमाचल प्रदेश	6,731	1,254
9.	जम्मू एवं कश्मीर	17,067	15,554
10.	झारखंड	5,547	2,829
11.	कर्नाटक	47,412	10,684
12.	केरल	7,910	538
13.	मध्य प्रदेश	21,076	1,871
14.	महाराष्ट्र	91,470	29,248
15.	मणिपुर	136	136
16.	मेघालय	1,349	1,034
17.	मिजोरम	11	10
18.	ओडिशा	3,075	1,184
19.	पुदुचेरी	4	25
20.	पंजाब	19,297	12,682
21.	राजस्थान	59,692	48,944
22.	सिक्किम	9,121	5,515
23.	तमिलनाडु	60,310	56,285
24.	तेलंगाना	69,107	65,854
25.	त्रिपुरा	378	398
26.	उत्तर प्रदेश	37,591	47,007
27.	उत्तराखंड	3,103	777
28.	पश्चिम बंगाल	7,732	4,985
महा योग		**5,87,895**	**3,62,227**

नोट: विद्युत परियोजनाओं (उत्पादन, पारेषण और वितरण) के लिए राज्य क्षेत्र का वित्तपोषण

लो.सं.अतारां.प्र.सं. 598

अनुबंध

ख. दिनांक 01-04-2019 से 30-9-2024 के दौरान राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को आरईसी द्वारा संस्वीकृत और संवितरित/जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत राशि	संवितरित राशि
1.	आंध्र प्रदेश	61,562	56,179
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	894	447
4.	बिहार	13,368	11,318
5.	छत्तीसगढ़	26,467	18,963
6.	गोवा	639	0
7.	गुजरात	22,938	0
8.	हरियाणा	11,950	14,987
9.	हिमाचल प्रदेश	8,060	1,642
10.	जम्मू एवं कश्मीर	37,198	14,923
11.	झारखंड	20,178	7,203
12.	कर्नाटक	54,450	39,009
13.	केरल	25,426	7,701
14.	मध्य प्रदेश	24,211	2,755
15.	महाराष्ट्र	1,20,607	64,946
16.	मणिपुर	459	383
17.	मेघालय	795	743
18.	मिजोरम	2	11
19.	नागालैंड	5	40
20.	ओडिशा	5,342	2,233
21.	पुदुचेरी	150	35
22.	पंजाब	12,979	10,981
23.	राजस्थान	70,053	56,943
24.	सिक्किम	13,171	5,228
25.	तमिलनाडु	75,471	76,825
26.	तेलंगाना	77,983	78,577
27.	त्रिपुरा	68	39
28.	उत्तर प्रदेश	39,089	51,410
29.	उत्तराखंड	5,972	2,355
30.	पश्चिम बंगाल	26,350	11,090
	महा योग	**7,55,839**	**5,36,965**

नोट: विद्युत परियोजनाओं (उत्पादन, पारेषण और वितरण) के लिए राज्य क्षेत्र का वित्तपोषण

****